न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

-109

प्रकरण क्रमांक निगरानी-5045/2018/रायसेन/भू.रा. विरूद्ध आदेश दिनांक 03.05.2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 679/अपील/2017-18.

मुकेश लोधी आ. श्री पन्नालाल लोधी
निवासी वार्ड क्र. 1, नरापुरा, तहसील
व जिला रायसेन, म.प्र. .....आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती रजनी जैन पत्नी श्री दीपचन्द जैन
निवासी शिवोम नगर सिंधी धर्मशाला के पीछे,
तहसील व जिला रायसेन, म.प्र. .....अनावेदक

श्री प्रेमसिंह, अभिभाषक, आवेदक
श्री डी.डी. मेघानी, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 28/6/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 03.05.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा अपने अभिभाषक के माध्यम से तहसीलदार, रायसन के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अनावेदक की भूमि ग्राम नवाबपुर में स्थित है, जिसका खसरा क्रमांक 16 एवं 17/1 कुल रकबा 2.35 एकड़ भूमि स्वामित्व पर अंकित है। उक्त भूमि के बीच में शासकीय नाला जिसका खसरा क्र. 15 रकबा 0.11 एकड़ है। वर्तमान में अनुपयोगी होकर अस्तित्वहीन हो चुका है तथा यह भूमि अनावेदक की भूमि का ही एक अंग हो चुका है। म.प्र. शासन के अध्यादेश 1964 क्रमांक 3 की धारा 19 के अनुसार म.प्र. शासन, राजस्व विभाग के ज्ञापन क्रमांक 3330/6-87/88/सात-सा-2 दिनांक 01.09.1980 के

पदक्रम 27 द्वारा खेत के नालों के आवंटन के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि भूमि स्वामियों को इस प्रकार के नालों का बंटन किया जा सकता है। अतः उसे उक्त नाले की भूमि को उसके खाते में सम्मिलित किया जावे। तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुए नगर पालिका से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त कर अनावेदक को वादित भूमि उसके खाते में सम्मिलित करने के आदेश जारी किये गये तथा इस आदेश के पालन में अनावेदक के नाम से नामांतरण पंजी क्र. 4 आदेश दिनांक 07.08.1990 पर नामांतरण अंकित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, रायसेन के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील सुनवाई हेतु ग्राह्य कर उभय पक्षों की सुनवाई उपरांत आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार को जांच हेतु भेजे जाने के आदेश पारित कियेगये। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 03.05.2018 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 27.09.2017 निरस्त करते हुए अपील स्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अधीनस्थ न्यायालय ने विचाराधीन आदेश पारित करने से पूर्व प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों पर लेशमात्र भी विचार नहीं किया गया। राजस्व पुस्तक परिपत्र के खण्ड-4 कण्डिका 3 के नियम 8 में आवंटन अधिकारी के अधिकार एवं भूमि बंटन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। तहसील न्यायालय ने अनावेदक के पक्ष में विवादित भूमि का नामांतरण किये जाने से पूर्व राजस्व पुस्तक परिपत्र के खण्ड-4 कण्डिका 3 के नियम 8 में उल्लेखित किसी भी नियत-8 (क), (ख), (ग) एवं (घ) का पालन नहीं किया गया था, जबकि आवंटन की प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। विचारण न्यायालय द्वारा केवल अनावेदक को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आवंटन की कार्यवाही एकपक्षीय रूप से संपादित की गई है। परिणामस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदक की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने में त्रुटि की गई है।

(2) प्रकरण में यह मान्य तथ्य है कि विवादित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में नाले के रूप में दर्ज है। इसलिए विवादित भूमि को आवंटन किये जाने से पूर्व नोईयत परिवर्तन किया जाना आवश्यक है, परंतु तहसील न्यायालय ने विवादित भूमि का आवंटन करने से पूर्व नोईयत परिवर्तन के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई। परिणामस्वरूप तहसील न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही प्रथम

दृष्टया त्रुटिपूर्ण होने से निरस्ती योग्य थी। इसलिए अधीनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा की गई विवादित कार्यवाही को निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है।

(3) प्रकरण में यह मान्य तथ्य है कि तहसील न्यायालय द्वारा नियमानुसार प्रक्रिया का पालन किये बिना ही आवेदक के पक्ष में आवंटन की कार्यवाही की गई थी। इसलिए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण नियमानुसार बंटन की कार्यवाही हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया है। आवेदक को तहसील न्यायालय के समक्ष सुनवाई का नियमानुसार अवसर प्राप्त होगा। आवेदक द्वारा अपने अपील मेमो में इस तथ्य को स्पष्ट नहीं किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निर्धारित किये बिंदुओं के आधार पर तहसील न्यायालय के समक्ष नियमानुसार कार्यवाही किये जाने से आवेदक को क्या क्षति होगी। आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील से यह प्रथम दृष्टया ही प्रमाणित है कि वह अधीनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के पालन में नियमानुसार कार्यवाही नहीं चाहती है।

(4) प्रकरण में यह मान्य तथ्य है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया था। उनके द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि "अधीनस्थ तहसील न्यायालय निम्नानुसार तथ्यों की जांच करे और यदि नाले की भूमि के बंटन में कोई वैधानिक त्रुटि हुई है, तो नियमानुसार कार्यवाही करते हुए प्रतिवेदन कलेक्टर को भेज कर आवश्यक कार्यवाही करें।" अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अंतिम न होकर अंतरिम आदेश की श्रेणी में आता है। इसलिए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध केवल निगरानी प्रस्तुत की जा सकती थी। इसलिए अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील प्रचलन योग्य नहीं होने से इस न्यायालय को भी प्रकरण श्रवण करने की अधिकारिता नहीं है। प्रकरण श्रवण करने की अधिकारिता नहीं होने से न्यायालय द्वारा प्रकरण में गुण-दोषों के आधार पर कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है।

(5) अधिनियम की धारा 46(घ) का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। धारा 46(घ) में यह स्पष्ट किया गया है कि जो आदेश अंतरिम स्वरूप का होगा, उसके विरूद्ध अपील श्रवण योग्य नहीं है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध केवल निगरानी प्रस्तुत की जा सकती थी। परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील क्षेत्राधिकार विहीन होने से इस न्यायालय को प्रकरण श्रवण करने की अधिकारिता नहीं है। यह मान्य तथ्य है कि म.प्र. भू-राजस्व संहिता में हुए संशोधन के उपरांत निगरानी प्रकरणों की सुनवाई करने की अधिकारिता केवल राजस्व मण्डल को है। राजस्व मण्डल के अतिरिक्त अन्य किसी भी राजस्व न्यायालय को अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रकरण श्रवण करने की अधिकारिता नहीं है। परिणामस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत

अपील प्रथम दृष्टया ही त्रुटिपूर्ण होने से न्यायालय को गुण-दोषों के आधार पर आदेश पारित करने की अधिकारिता नहीं है।

अतः उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त करने अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) आवेदक द्वारा न्यायालय को भ्रमित करने के दुराशय से राजस्व पुस्तक परिपत्र के खंड 4 क्रमांक 3 की कंडिका 8 का उल्लेख किया है, जो कि भूमि के आवंटन से संबंधित है। तहसील न्यायालय के द्वारा अनावेदिका रजनी जैन के पक्ष में जो उक्त परिपत्र की कंडिका 27 के अंतर्गत खेत के नाले से संबंधित भूमि का व्यवस्थापन किया है। तहसील न्यायालय के अभिलेख से स्वतः यह स्पष्ट है कि यह व्यवस्थापन करने के पूर्व उनके द्वारा विधिवत इश्तहार जारी कर आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं और समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। तहसील न्यायालय द्वारा नगर पालिका रायसेन से अभिमत प्राप्त किया गया है, जो कि सकारात्मक रहा है। पटवारी से स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की गई है एवं आवेदिका से विधिवत प्रीमियम की राशि जमा कराई गई है। इन सब बिंदुओं पर विचार करने के उपरांत ही अपर आयुक्त में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करते हुए तहसील के आदेश को यथावत रखा है।

(2) संहिता की धारा 237 में दखल रहित भूमियों का उल्लेख है। यदि इन भूमियों में से किसी भूमि का नोईयत परिवर्तन कर बंटन करना आवश्यक हो तो कलेक्टर ऐसी भूमि का नोईयत परिवर्तन कर सकता है, परंतु इस धारा में नाले को निस्तार अधिकार के प्रयोजन के लिए दखल रहित भूमि की श्रेणी में मान्य नहीं किया गया है। राजस्व पुस्तक परिपत्र की कंडिका 4(3) की कंडिका 27 में स्पष्ट दर्शाया गया है कि "जहां कोई नाला किसी खेत में हो और बरसात के सिवाय अन्य ऋतुओं में उसमें पानी न रहता हो और किसी अन्य किसान के काम में न आता हो, तो उसका व्यवस्तापन अलाटमेंट अधिकारी अर्थात् तहसीलदार को उसी कास्तकार के साथ उसी हक में देने का अधिकार है, जिस हक में उसके आसपास की भूमि स्थित है।" इस परिप्रेक्ष्य में तहसील न्यायालय का आदेश पूर्णतः वैधानिक आदेश है। अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक की अवैध रूप से निगरानी स्वीकार की थी, जिसे निरस्त कर अपर आयुक्त ने वैधानिक आदेश पारित किया है।

(3) अनुविभागीय अधिकारी का आदेश इस निष्कर्ष पर आधारित है कि तहसील न्यायालय को प्रश्नाधीन भूमि ख.क्र. 15 शासकीय नाला होने के कारण कलेक्टर की अनुमति के बिना और

नोईयत परिवर्तन कराये बिना बंटन या व्यवस्थापन करने का अधिकार नहीं है। यह निष्कर्ष देने के पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 4(3) की कंडिका 27 का परिशीलन नहीं किया, जिसके अनुसार खेत के नाले का व्यवस्थापन करने का अधिकार अलाटमेंट अर्थात् आवंटन अधिकारी को है। उक्त परिपत्र की कंडिका 1(झ) के अनुसार "आवंटन अधिकारी से तात्पर्य उस राजस्व अधिकारी से है, जिसे निर्दिष्ट क्षेत्र के लिए राज्य शासन या आयुक्त या कलेक्टर द्वारा समय-समय पर नियुक्त किया जाये।" (राज्य शासन ने तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार तथा ऐसे नायब तहसीलदारों को जिनको म.प्र. भू-राजस्व संहिता के अधीन तहसीलदारों की शक्तियां प्राप्त हैं, आवंटन अधिकारी नियुक्त किया गया है।)

उक्त प्रावधानों से स्वयं सिद्ध है कि राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 4(3) के अंतर्गत आवंटन अधिकारी तहसीलदार हैं। अत: उन्हें कंडिका 27 के अंतर्गत शासकीय नाले की भूमि का व्यवस्थापन करने का अधिकार है। इतना ही नहीं शासकीय नाले की भूमि का व्यवस्थापन करते समय कलेक्टर से अनुमति मांगने या नाले की नोईयत परिवर्तन कराने की आवश्यकता नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्र. 09/अ-19/1989-90 में पारित आदेश दिनांक 30 जून 1990 पूर्णत: वैध आदेश है और इस आदेश में हस्तक्षेप करने का अनुविभागीय अधिकारी को अधिकारिता न होने से उनके द्वारा पारित आदेश अवैध होने के कारण ही उसे निरस्त किया है।

(4) अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की है, इस परिप्रेक्ष्य में अनावेदिका ने विधिक अधिकार के तहत ही अपर आयुक्त में द्वितीय अपील प्रस्तुत की थी, जो उनके द्वारा स्वीकार की गई थी। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट अंकित किया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश स्पष्ट एवं बोलता हुआ न होकर दिशाविहीन आदेश है, जिसे स्थिर रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में भी आवेदक की निगरानी निरस्त योग्य है।

(5) अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण से संलग्न अभिलेख से पूर्णत: स्पष्ट है कि व्यवस्थापित की गई भूमि खसरा क्र. 15 रकबा 0.11 एकड़ कथित नाले के चारों ओर खसरा क्र. 16 एवं खसरा क्र. 17/1 के रकबा2.35 एकड़ भूमि के भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी रजनी जैन हैं। मौके पर किसी अन्य व्यक्ति के आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। मौके पर 29 साल पहले से ही वास्तव में कोई नाला नहीं रहा है। आवेदक ने इस कंडिका में असत्य कथन पर न्यायालय को भ्रमित करने का प्रयास किया है।

तर्को के समर्थन में 2013 आर.एन. 118 एवं 1998(2) जे.एल.जे. 79 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं। अतः उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश यथावत रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र की कंडिका 27 के अंतर्गत प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक को आंबटित की गई है । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण इस आधार जांच हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्ति किया गया कि प्रश्नाधीन नाले की भूमि का बंटन कलेक्टर की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता । अनुविभागीय अधिकारी का उक्त निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण होकर निरस्त किए जाने योग्य है, क्योंकि राजस्व पुस्तक परिपत्र की कंडिका 9(झ) के अंतर्गत तहसीलदार को प्रश्नाधीन भूमि आबंटित करने की शक्तियां प्राप्त है । इस संबंध में अपर आयुक्त द्वारा विवेचना करते हुए विधिवत आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । दर्शित परिस्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किए जाने योग्य नहीं हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.05.2018 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर